

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) / (365 / 94) / अलेसे - III / 419

दिनांक :- 12.07.2017

आदेश संख्या: 110 / 2017-18

श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, (लिंक नं० 4410) निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग को तत्कालीन कार्यालय उपकोष, पिड़ावा, झालावाड़ (आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय) में कार्यरत रहने के दौरान इनके विरुद्ध पुलिस थाना, सांगानेर, जयपुर (पूर्व) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 286 दिनांक 10.03.2014 के अन्तर्गत धारा 420 / 406 आईपीसी में प्रकरण दर्ज होने एवं दिनांक 10.03.2014 से 14.03.2014 तक पुलिस रिमांड पर रहने तथा न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक कोष चि/स्था/68 दिनांक 28.04.2014 के साथ सलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दूराचरण रिपोर्ट के आधार पर श्री चतुर्वेदी को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1718-25 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा दिनांक 10.03.2014 से निलम्बित किया गया था।

श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्रसु/अनु-3/99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर में किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधीन किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) / (365 / 94) / अलेसे - III / 419

दिनांक :- 12.07.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 07.06.2017 के क्रम में।
2. कोषाधिकारी (शहर), जयपुर।
3. कोषाधिकारी, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
5. श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं० 4410) निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर।
6. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
7. निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)